

आयकर गणना प्रपत्र 2016-17 (कर निर्धारण वर्ष 2017-18)

1. नाम कार्मिक..... पद	PAN -						
2. आय : वर्ष 2016-17 में प्राप्त कुल वेतन (कर योग्य सुविधाओं के मूल्य सहित)		रु.					
3. गृह किराया भत्ता धारा 10(13A) के अन्तर्गत एवं धारा 10(14) के अन्तर्गत अन्य भत्ते जो कर मुक्त है।		रु.					
4.	शेष (2-3)	रु.					
5. मनोरंजन भत्ता धारा 16(ii) के अन्तर्गत (अधिकतम सीमा रु. 5000)		रु.					
6.	शेष (4-5)	रु.					
7. (अ) गृह सम्पत्ति से आय : (i) स्वयं के उपयोग में - शून्य (ii) प्राप्त किराया							
(ब) घटायें :	किराये का 30%	गृह ऋण पर ब्याज					
रु.	रु.	रु.					
	गृहकर	योग					
	रु.	रु.					
	कुल शेष - / + (7(अ) एवं योग 7(ब) का) रु						
8.	कुल शेष - / + (6 एवं 7)	रु.					
9. अन्य आय		रु.					
10. सकल आय	शेष (8+9)	रु.					
11. घटाईये कटौतियां : धारा 80C, 80CCC, 80CCD (1)							
(A) अधिकतम सीमा 150000 / - (धारा 80CCE), (80CCD(1B) के अलावा							
(i) राज्य बीमा	(x) सरकारी पेशन योजना में अंशदान						
(ii) जीवन बीमा प्रीमियम	(xi) पेंशन प्लान हेतु अंशदान						
(iii) राष्ट्रीय बचत पत्र	(xii) राष्ट्रीय बचत पत्र पर अदत्त ब्याज						
(iv) लोक भविष्य निधि	(xiii) ट्यूशन फीस						
(v) राष्ट्रीय बचत स्कीम	(xiv) इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम						
(vi) सामान्य प्रावधायी निधि	(xv) स्थगित वार्षिकी						
(vii) सामूहिक बीमा प्रीमियम	(xvi) पी.एल.आई.						
(viii) यूएलआइपी/वार्षिक प्लान	(xvii) अन्य						
(ix) गृह ऋण किस्त	Total (i to xvii)						
	अधिकतम कटौती राशि 1.50 लाख रुपये तक						
(B) घटाईये धारा 80CCD(2), नियोक्ता द्वारा पेशन अंशदान की राशि (अधिकतम वेतन का 10 प्रतिशत) पृथक से छूट		रु.					
(C) घटाईये धारा 80CCD(1B), नवीन पेशन योजना मे अतिरिक्त अंशदान (अधिकतम रु 50000 / -)		रु.					
	योग 11 (A+B+C)						
12. अन्य कटौतियां							
1. धारा 80D, चिकित्सा बीमा प्रीमियम (स्वयंपति/पति व बच्चों के लिये रु 25000, माता-पिता के लिये रु 25000, माता-पिता सोनियर सिटीजन रु 30000)		रु.					
2. धारा 80DD, विकलांग आश्रितों के चिकित्सा उपचार (अधिकतम रु 75000 / - तथा विकलांगता अधिनियम 1995 के अनुसार 125000 / -)		रु.					
3. धारा 80DDB, विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु कटौती (अधिकतम रु 40000 / - तथा सोनियर सिटीजन हेतु 80000 / -)		रु.					
4. धारा 80E उच्च शिक्षा हेतु ऋण का ब्याज		रु.					
5. धारा 80G धर्मार्थ सस्थाओं आदि को दिये गये दान (क श्रेणी मे 100 प्रतिशत एवं ख श्रेणी मे 50 प्रतिशत)		रु.					
6. धारा 80U स्थाई रूप से शारीरिक असमर्थता की दशा मे (अधिकतम 75000 / - तथा अधिनियम 1995 के अनुसार 125000 / -)		रु.					
7. धारा 80TTA बचत खाते पर अधिकतम ब्याज रु 10000 / -		रु.					
	योग 12 (1 से 7 तक योग)						
13. कुल कटौती (11 एवं 12 का योग)		रु.					
14. कर योग्य आय (10-13)		रु.					
15. कुल आय की राशि को सम्पूर्ण करना (दस के गुणक में) धारा 288A		रु.					
16. (i) आयकर की गणना उपरोक्त कॉलम 15 के आधार पर							
घटाईये : राहत धारा 87ए के अन्तर्गत (रु 5000 अगर कुल कर योग्य आय 500000 / - तक)							
(ii) शिक्षा उपकर 2 प्रतिशत कर पर							
(iii) उच्च शिक्षा के लिये अधिभार 1 प्रतिशत							
	योग 16 (i से iii)						
17. घटाईये : - राहत धारा 89 के तहत		रु.					
18. कुल कर		रु.					
19. आयकर कटौती का विवरण	सितम्बर 2016 तक	दिसम्बर 2016 तक	जनवरी 2017 तक	फरवरी 2017 तक	टी.डी.एस. कुल	योग 19	रु.
आयकर देय/वापसी योग्य शेष - / + (18 एवं 19)							रु.

एक व्यक्ति करदाता		वरिष्ठ नागरिक (60 से 80 वर्ष तक)		80 वर्ष या अधिक आयु	
2,50,000 तक	NIL	3,00,000 तक	NIL	-	-
2,50,001-5,00,000	10%	3,00,001-5,00,000	10%	5,00,000 तक	NIL
5,00,000-10,00,000	20%	5,00,001-10,00,000	20%	5,00,000-10,00,000	20%
10,00,000 से अधिक	30%	10,00,000 से अधिक	30%	10,00,000 से अधिक	30%

हस्ताक्षर

